



क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/30366 जयपुर, दिनांक-17/12/2020

परिपत्र संशोधित आदेश

वर्तमान में ग्राम पंचायतों के विलीनीकरण के कारण, साथिन के चयन से संबंधित परिपत्र संशोधन आदेश क्रमांक प.19(1)(6) निमअ/ मविका/साथिन चयन/14-15/22430 दिनांक 05.07.2017 के बिन्दु संख्या-4 (xii, xiii & xiv) के सन्दर्भ में परिसीमन के फलस्वरूप साथिन की नियुक्ति आदेश निरस्त होने के उपरान्त उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 2(i) में जिसमें साथिन के उसी ग्राम पंचायत के सदस्य होने की अनिवार्यता है, के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए साथिन की पुनर्नियुक्ति हेतु विलीनीकृत ग्राम पंचायत के निकटस्थ पूर्व गठित अथवा नव सृजित ग्राम पंचायत में साथिन का पद यदि रिक्त हो तो उसके चयन में वरियता देते हुए उसके चयन आदेश तत्काल जारी किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आयुक्त

30367-570

महिला अधिकारिता

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/

जयपुर, दिनांक- 17/12/2020

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, गांधी नगर, जयपुर।
5. समस्त जिला प्रमुख।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
8. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
9. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
10. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
11. समस्त बाल विकास परियोजना, अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
12. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

अतिरिक्त निदेशक  
महिला अधिकारिता